

2020/00014

न्यायालय : विवाह अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (नगर) श्रीगंगानगर।
विवाह अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़, आर०ए०एस०

विवाह पंजीयन प्रार्थना पत्र सं० ०६/२०२०

विवाह पंजीयन प्रार्थना पत्र विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ मोहन लाल पुत्र श्री रामकुमार जाति छिम्पा, निवासी वार्ड नम्बर १९, नया २७, बसंती चौक तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं मासूमा बेगम पुत्री श्री मनुमिया, जाति मुसलमान निवासी नेताजी कॉलोनी, आई.सी.डी. एस सैन्टर, रंज गंज साउथ त्रिपुरा


आदेश दिनांक ०४.०९.२०२०

प्रार्थीगण ने सुयंक्त रूप से विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत दिनांक २९.०८.२०१९ को प्रार्थना पत्र, धारा ५ आशयित विवाह की सूचना कलर फोटो सहित, धारा ११ के तहत वर एवं वधु द्वारा की गई घोषणा, आयु एवं पहचान के संबंध में दस्तावेजों की फोटो प्रतियां, गवाहान द्वारा विवाह के पक्षकारान को पहचानने का सूचना पत्र, तीन गवाहान के शपथ पत्र एवं आई० डी प्रूफ प्रस्तुत कर विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित कराने का निवेदन किया है।

विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ की धारा १४ के अनुसार प्रार्थना पत्र को तीन कैलण्डर मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

विशेष विवाह अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत तीन कैलण्डर माह की अवधि पूर्ण हो जाने के पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व्यपगत हो गया है। अतः प्रार्थीगण का विशेष विवाह अधिनियम १९५४ का प्रार्थना पत्र दाखिल दफतर किया जाता है।

आदेश आज दिनांक ०४.०९.२०२० को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरविन्द कुमार जाखड़)
विवाह अधिकारी एवं
अति० जिला कलक्टर
(नगर), श्रीगंगानगर।